खीमराज बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)भीनमाल प्रकरण संख्या 17/2018

13.08.2018

अपीलांट व राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)भीनमाल अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी का जवाब जरिए. ई मेल प्राप्त हुआ।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)भीनमाल ने जवाब में व्यक्त किया अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना मौजा भीनमाल के पुराने खसरा नंबर 2109 पर आधारित है। कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मौजा भीनमाल का रिकार्ड अत्यन्त फटा हुआ है। जिसमें खसरा नंबर 2109 के नये बने खसरा नंबर का इन्द्राज नहीं दिखाई देने से उक्त सूचना कार्यालय से दिया जाना संभव नहीं होने से कार्यालय के पत्रांक/722 दिनांक 06.08.2018 के जरिए अपीलांट को सूचित किया गया है। उक्त सूचना जिला भू.अ. कार्यालय जालोर में आवेदन प्रस्तुत कर चाही गई सूचना प्राप्त करे। अत: वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से अपील फैसल फरमावे।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) भीनमाल के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 41 एफ 008836 के संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2018 के द्वारा चाही गई सूचना के संबध में रेस्पोडेन्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)भीनमाल द्वारा अपीलांट को पत्रांक/722 दिनांक 06.08.2018 के द्वारा देरी से अपीलांट को सूचित किया है। अत: अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) भीनमाल को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को 15 दिवस की अवधि में सबंधित से प्राप्त कर निशुल्क: उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करे। साथ ही भविष्य में प्राप्त होने वाले पत्रो को निर्धारित समयावधि में निस्तारित करने का प्रयास करे।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

(बी.एल.कोठारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर